

19/3/2021

पतन प्राम

पत्राफली चेश हुई। प्रार्थी रतनलाल उपाख्य
 विपक्षीगण आज भी उपाख्यित नहीं। आवाज
 लाजवादे गई, उपाख्यित नहीं। अतः विपक्षीगण
 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश
 दिए जाते हैं। बहस प्रकार प्रार्थी सुनी गयी।
 हमने पत्राफली का अवलोकन कर बहस प्रार्थी
 पर मनन किया। नकल जमा कर्दी सम्बन्ध
 2068-2071 अनुसार ग्राम दईखेडा प. हल्का
 लोन्गर तहसील चित्तौडगढ़ की आराजी नम्बर
 257 रकबा 1.08 हे. भूमि प्रार्थीगण की
 खोलेदारी की है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना
 का पत्र अर्जगत धारा 128 पर भेजे सीकार
 किया जाकर ग्राम दईखेडा प. ह. लोन्गर
 स्थित प्रार्थीगण की खोलेदारी की आराजी
 नम्बर 257 रकबा 1.08 हे. भूमि की बिना
 फिली के कस्ते में दरपलन्दाजी किए सेटलमेन्ट
 नम्बरो अनुसार पत्थरगढी किए जाने के आदेश
 दिए जाते हैं। पत्थरगढी शुल्क 1000.00 रुपये
 अक्षर एक हजार रुपये प्रार्थीगण वहन करेंगे।
 पालनार्थ तहसीलदार चित्तौडगढ़ को लिखा
 जावे कि पक्षकारण को लिखित सूचना देकर
 नियमानुसार पत्थरगढी की जावे एवं पालना
 रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्णय
 लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।
 पत्राफली को लाल शमार होकर नम्बर से
 काम हो।

2020
00456

(रतन सुन्दर विरनो)
 सहायक मेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौडगढ़ (सम्.)